

विचार बिन्दु

बुद्धि के सिवाय विचार प्रचार का कोई दूसरा शस्त्र नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही अन्याय को मिटा सकता है। –शंकराचार्य

जो रहीम ओछो बढै, तौ अति ही इतराय

बा तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा था-बड़ अधिकार दच्छ जब पावा। अति अभिनामुहर्दय तब आवा।। नहिंकोउ अस जनमा जग माहीं। प्रभुता पाइजाहि मद नाहीं।। अर्थात् जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत् में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। निश्चय ही तुलसी एक खास संदर्भ में यह बात कह रहे थे, अन्यथा भारतीय जीवन पद्धति तो सदा इसी बात का आग्रह करती आई है कि प्रभुता की पहचान विनम्रता से होती है। ऐसे अनेक प्रसंग हम पढ़ते सुनते आए हैं जब किसी उच्च पदस्थ ने अतिशय विनम्रता का प्रदर्शन किया। भारतीय राजनीति में भी हम गांधी-नेहरु-शास्त्री-राजेंद्र प्रसाद जैसे अनेक महान लोगों को देख चुके हैं जिन्हें अभिमान लेशमात्र भी छू नहीं गया था। ये कुछ नाम तो ऐसे हैं जो हरेक को हर पल याद आते रहते हैं, इनके अतिरिक्त भी न जाने कितने बड़े और महान लोग हुए हैं जो पदजन्य अहंकार से मुक्त रहे हैं। हमारे यहां तो दिखावा करने वाले या अहंकारी को सदा ही थोथा चना बाजे घना कहकर नकारा गया है। पद का अहंकार दिखाने वाले के लिए रहीम दास ने क्या खूब कहा था: जो रहीम ओछो बढै, तौ अति ही इतराय।/ प्यादे सॉफरजीभयो, टेढो-टेढो जाया।।

लेकिन हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां हर कोई अपने महत्त्व को दिखाने के लिए व्यग्र नज़र आता है। न केवल व्यग्र नज़र आता है, उसे बेझिझक दिखा भी देता है। लगता है अब विनम्रता कोई मूल्य नहीं रह गया है। उसकी जगह उठाता, आक्रामकता और अशिष्टता ने ले ली है। अभी हाल में ऐसा ही एक प्रसंग सामने आया है जिसने हर संवेदनशील व्यक्ति को व्यथित किया है। हुआ यह कि छत्तीसगढ़ के दूसरे बड़े शहर बिलासपुर में, जिसे वहां अवस्थित राज्य के उच्च न्यायालय की वजह से उस शहर को राज्य की न्यायधानी भी कहा जाता है, साहित्य अकादेमी दिल्ली और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में समकालीन ‘हिंदी कहानी: बदलते जीवन संदर्भ’ पर इस विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के बैनर तले एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में हिंदीवके अनेक सुपरिचित और ख्यात साहित्यकार भी उपस्थित थे। वहां अन्य लोगों के अलावा हिंदी के बड़े और सम्मानित कथाकार मनोज रूपड़ा भी मौजूद थे। विश्वविद्यालय के कुलपति माइक पर थे और जैसा कि सोशल मीडिया पर उपलब्ध वीडियो क्लिप से ज्ञात हो रहा है वे हल्के-फुल्के अंदाज में अपनी बात कह रहे थे। यकायक वे मनोज रूपड़ा की तरफ मुखातिब होते हैं और उनसे पूछते हैं कि ‘कहीं आप मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रहे हैं? अब कुलपति की यह हरकत सामान्य तो नहीं कही जाएगी। उन्होंने मनोज रूपड़ा को सम्बोधित कर यह बात कही तो मनोज ने भी सहज भाव से जवाब दे दिया कि ‘आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं। अब यह कोई असामान्य उत्तर नहीं था। बात को यहीं खत्म हो जाना चाहिए था। वैसे कुलपति को किसी एक व्यक्ति को लक्ष्य करके ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था, और अगर कह दिया तो फिर उन्हें इस बात के लिए भी सहज भाव से तैयार रहना चाहिए था कि उनकी बात का कुछ न कुछ जवाब दिया जाएगा।

लेकिन यह लिखते हुए मैं इस बात को शायद भूल गया कि पूछने वाला एक विश्वविद्यालय का सर्व शक्तिमान कुलपति था और जिससे पूछा गया वह एक मामूली कहानीकार। कुलपति जी ने तो उससे सवाल कर उसकामान बढ़ाया था, और वह नाशुक्रा कहानीकार ऐसा जवाब देने की धृष्टता कर बैठा। कुलपति जी का बड़ा आश्चर्यी तुरंत जाग खड़ा हुआ और उसने मनोज रूपड़ा का अपमान करते हुए कि इसको यहां किसने बुलाया है, सार्वजनिक रूप से उन्हें बाहर जाने के लिए कह दिया। न केवल इतना, कुलपति ने यहां तक कह डाला कि जो इनके साथ जाना चाहें वे भी बाहर चले जाएं!

सच बात यह है कि किसी आमंत्रित अतिथि को बाहर जाने के लिए कनहा किसी के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उस समय तक नहीं है जब तक कि वह अतिथि कोई ऐसी हरकत न कर बैठे जो सुखा या गरिमा के प्रतिकूल हो। वीडियो क्लिप साक्षी है कि मनोज रूपड़ा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने केवल कुलपति जी के सवाल का जवाब दिया। ऐसा भी नहीं कि कुलपति बोल रहे थे और मनोज ने उन्हें टोक दिया। अगर ऐसा किया गया होता तो भी हम मान लेते कि यह अनुचित कृत्य था। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। शुरुआत तो खुद कुलपति ने की, और जब उन्हें उनके सवाल का जवाब दिया गया तो वे न केवल उखड़ गए, अशिष्टता पर भी उतर आए। उनका यह कृत्य निहायत ही अपेक्षित, अवांछित और अस्वीकार्य था। विश्वविद्यालय के कुलपति का पद बहुत बड़ा होता है। और जो व्यक्ति जितने बड़े पद पर आरुढ़ होता है उससे उतनी ही शालीनता और गंभीरता की अपेक्षा भी होती है। लेकिन वीडियो क्लिप से पता चलता है कि इन कुलपति जी का बर्ताव इन अपेक्षाओं से कोसों दूर का है। वे उखड़ गए हैं और एक अतिथि को, जिसके बारे में उन्हें यह भी पता है कि वह एक प्रतिष्ठित रचनाकार है, वे अपमानित करके बाहर जाने का हुक्म जारी कर रहे हैं! न केवल उस एक व्यक्ति को, उस संगत: एक नामी कहानीकार भी है, अन्य अतिथियों को भी, जिनकी इस प्रकरण में कोई भूमिका ही नहीं थी।उनका बर्ताव कुल मिलाकर उसी किस्म का है जो हम बहुत बार अपने आस-पास उस समय देखते हैं जब कोई किसी से कहता है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। कुलपति जी भी बाकायदा बताते हैं कि वे कुलपति हैं और उनसे एक खास लहजे में बात की जानी चाहिए। मुझे फिर रहीम दास याद आने लगते हैं। उन्होंने लिखा था –बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो न बोलें बोल।/ रहिसन हीरा कब करे, लाख टका मेरो...। लेकिन ये महाशय ही तो कहा रहे हैं कि ये कुलपति हैं और इनसे कैसे बात करनी चाहिए। अगर इन्हें यह कहना पड़ा तो समझ लिया जाना चाहिए वे कुलपति जैसे नहीं थे। वैसे भी इनके वक्तव्य का जितना अंश इस वीडियो क्लिप में है वह भी इनके कुलपति होने की पुष्टि नहीं करता है। विश्वविद्यालय तो अभिव्यक्ति की आजादी के केंद्र होते हैं, या कहे उन्हें होना चाहिए। लेकिन अगर किसी विश्वविद्यालय का कुलपति अपने एक आमंत्रित सम्मानित अतिथि की सामान्य और आमंत्रित अभिव्यक्ति पर इस तरह का बर्ताव करे तो यह सोचकर केवल दुखी ही हुआ जा सकता है वह अपने विश्वविद्यालय को किस दिशा में ले जा रहा होगा।

एक विश्वविद्यालय के कुलपति का यह बर्ताव हमें न केवल व्यथित करता है, बहुत कुछ सोचने को भी मजबूर करता है। आखिर हम कैसा समाज और कैसा देश बनते जा रहे हैं। जो लोग ताकतवर पदों पर हैं वे किसी भी तरह की असहमति की आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं। फिर एक कवि याद आता है। कबीरदास ने कहा था, ‘निंदक नियरेराखिए, आंगन कुटी छवाय लेकिन अब वह समय आ गया है जब निंदक को धकियाया या कुचला जाना सामान्य होता जा रहा है। असहमति का अधिकार जैसे अतीत हो गया है। आप या तो हां में हां मिलाएं, या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। क्या यही वह राह है जिस पर चलकर हम विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं? विश्व गुरु की बात इसलिए कि कुलपति को हमारे राजस्थान में कुल गुरु कहा जाने लगा है। तो जो पूरे संस्थान का गुरु है अगर वही असहमति को सहन नहीं कर सकता है तो बाकियों से क्या उम्मीदी की जाए?

साहित्य जगत में कुलपति के इस बर्ताव की व्यापक भर्त्सना हुई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर से तो यह खबर भी आई है कि वहां के लेखकों-संस्कृति कर्मियों और पत्रकारों ने सड़क पर आकर अपना रोष प्रकट किया है। यह ज़रूरी भी है। एक स्वस्थ समाज में अच्छे का स्वीकार और स्वागत तथा बुरे का अस्वीकार और उसकी भर्त्सना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बुराई को देखकर चुप रह जाएंगे तो हमसे बुराई को ही प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, जैसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने शानदार निबंध (भीष्म को क्षमा नहीं किया गया) में भी कहा है, इतिहास भी हमें कभी माफ नहीं करेगा। एक नागरिक के रूप में हमारा यह कर्तव्य है कि अपने चारों तरफ जो भी ग़लत नज़र आए, उसके खिलाफ़ हम अपनी आवाज़ उठाएं। मेरे इस लेख को इसी विचार के आलोक में पढ़ा जाए!

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

राशिफल

सोमवार 12 जनवरी, 2026



पंडित अनिल शर्मा

गृह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-तुला, मंगल-धनु, बुध-धनु, गुरू-मिथुन, शुक्र-धनु, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह आज यमघट योग रात्रि 9:05 से सूर्योदय तक है। कुमार योग रात्रि 9:05 से आरम्भ होगा। आज भद्रा रात्रि 2:00 से आरम्भ होगा। शुक्र मकर राशि में दिन 3:58 से प्रवेश करेगा। आज स्वामी विवेकानन्द जयन्ती है। श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 8:40 तक, शुभ 9:58 से 11:16 तक, चर 1:53 से 3:11 तक, लाभ-अमृत 3:11 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 7:21, सूर्यास्त 5:48



मेप

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।



तुला

मानसिक तनाव से राहत मिल सकती है। मन:स्थिति ठीक रहेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



वृष

विवादी मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक /आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।



वृश्चिक

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।



मिथुन

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक मामलों में परिजनों से सहयोग मिल सकता है।



धनु

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरशाह व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है।



कर्क

घर-परिवार में अतिथियों का आमगमन बना रहेगा। परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।



मकर

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। आर्थिक मामलों में आज लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।



सिंह

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक मामलों में महत्वपूर्ण परामर्श मिल सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।



कुंभ

नवीन कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



कन्या

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। नौकरशाह व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।



मीन

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ-मंगलिक कार्यों में व्यवधान हो सकते हैं। आज बनते कार्य विगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कब्रिस्तान और ज़मीन का संकट : क्या भारत में भविष्य के टकराव की नींव रख सकता है?



सुनील दत्त गोयल

भारत आज जिस सबसे गंभीर संकट की ओर बढ़ रहा है, वह केवल बेरोज़गारी, महंगाई या पर्यावरण तक सीमित नहीं है। असल संकट ज़मीन का भी है। जनसंख्या बढ़ रही है, शहर फैलते जा रहे हैं, खेती की भूमि लगातार घट रही है और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन सीमित होते जा रहे हैं। ऐसे समय में यह प्रश्न अब टालना खतरनाक होगा कि क्या मृत्यु के बाद की हमारी व्यवस्थाएँ भी समय, तकनीक और ज़मीनी सच्चाई के अनुसार बदली जानी चाहिए या नहीं ?

यह विमर्श किसी धर्म, जाति या समुदाय के विरुद्ध नहीं है। यह एक राष्ट्रीय नीति, प्रशासनिक दूरदृष्टि और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ा विषय है।

कब्रिस्तानों का सीमांकन: आज की अनदेखी, कल का बड़ा विवाद

भारत में मुस्लिम और ईसाई समाज में शवों को दफनाने की परंपरा है। यह उनकी आस्था का विषय है और इस पर कोई सवाल नहीं। समस्या परंपरा में नहीं, बल्कि उस पर प्रशासनिक नियंत्रण और कानूनी स्पष्टता के अभाव में है। देश के अनेक हिस्सों में कब्रिस्तान ऐसे हैं जिनका न तो स्पष्ट सीमांकन है और न ही उनका भूमि रिकॉर्ड पूरी तरह दर्ज है।

आज यह मुद्दा शांत दिखाई देता है, लेकिन भविष्य में यही अस्पष्टता भूमि विवाद, कब्रों और साम्प्रदायिक तनाव का कारण बन सकती है। इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के सभी कब्रिस्तानों का विधिवत सीमांकन हो और उनका कानूनी स्टेटस पूरी तरह स्पष्ट किया जाए।

आज भी भारत के बहुत से हिस्सों में कब्रिस्तानों में अवैध कब्रों और अतिक्रमणों की भरमार है। इनमें आए दिन कहीं न कहीं झगड़े-फसाद होते रहते हैं या विभिन्न न्यायालयों में इनके मुकदमे चल रहे हैं। यह इसका ज्वलंत उदाहरण है कि आने वाले समय में ये बड़े झगड़े और विवाद का कारण बन सकते हैं।

पक्का कब्रिस्तान: एक भावनात्मक मांग या भविष्य की समस्या?

एक बड़ा और व्यावहारिक प्रश्न यह भी है कि पक्के कब्रिस्तान की ज़मीन आखिर आपणी कहां से?

जब देश पहले ही आवास, अस्पताल, स्कूल, सड़क, उद्योग और बुनियादी ढांचे के लिए ज़मीन की भारी कमी झेल रहा है, तब स्थायी कब्रिस्तानों के विस्तार की मांग भविष्य में सीधे-सीधे भूमि संघर्ष को जन्म दे सकती है। आज यदि इस प्रश्न पर नीति स्तर पर विचार नहीं किया गया, तो कल यह मुद्दा अदालतों से लेकर सड़कों तक जाएगा।

मुस्लिम देशों से सीखें: धर्म और व्यावहारिकता का संतुलन

अक्सर यह कहा जाता है कि कब्रिस्तान पर चर्चा धार्मिक हस्तक्षेप है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कई मुस्लिम एवं ईसाई बहुल देशों में स्वयं पक्की कब्रों और स्थायी निर्माण पर रोक है।

उदाहरण के लिए सऊदी अरब में इस्लामी कानून की सख्त व्याख्या के तहत कब्रों पर सीमेंट, संगमरमर या स्थायी ढांचे की अनुमति नहीं है।

यह नियम इसलिए बनाए गए ताकि:—

ज़मीन स्थायी रूप से अवरुद्ध न हो, पीढ़ियों बाद भूमि विवाद न हो, मृत्यु के बाद भी समानता बनी रहे। यह दिखाता है कि धर्म और व्यावहारिकता एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं।

यूनाइटेड किंगडम और कई यूरोपीय देशों में शवदाह का चलन ब्रिटेन सहित कई यूरोपीय देशों में 1960 के दशक से शवदाह की प्रथा दफन से अधिक लोकप्रिय हो चुकी है। पहले जहां भूमिगत दफन को

प्राथमिकता थी, अब वहाँ भी आर्थिक, पर्यावरणीय और भूमि उपयोग के कारण शवदाह को प्राथमिकता दी जाती है।

हालाँकि यूरोप के दक्षिणी हिस्सों में अभी भी पारंपरिक दफन प्रचलित है, लेकिन उत्तर और पश्चिमी यूरोप में शवदाह का प्रचलन बढ़ गया है। उदाहरण के लिए स्वीडन, डेनमार्क जैसे देशों में शवदाह का विकल्प आम माना जाता है।

न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में शवदाह का चलन

ब्रिटिश सांस्कृतिक प्रभाव वाले देशों जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी शवदाह की दर 70 प्रतिशत के आसपास है, जो आर्थिक और भूमि उपयोग के कारण लगातार बढ़ रही है। इन देशों में भूमि के उपयोग के दृष्टिकोण से और पारिवारिक आर्थिक बोझ को कम करने के कारण घर के पास बड़ी कब्रिस्तानों के बजाय शवदाह को एक व्यवहार्य विकल्प माना जाता है।

इटली: कैथोलिक देश में बदलाव की लहर

इटनी गहरी कैथोलिक परंपरा वाले देश इटली में भी अब पारंपरिक दफन से शवदाह की ओर तेजी से बदलाव देखा गया है। वहाँ 1995 में जहाँ कम ही लोग क्रैमेशन चुनते थे, 2023 में लगभग 38 प्रतिशत मौतों में शवदाह हुआ – एक सांस्कृतिक परिवर्तन की दशता है।

यह खास तौर पर तब संभव हुआ जब कैथोलिक चर्च ने 1963 में शवदाह के बाद भी पारंपरिक ईसाई अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी, जिससे मानसिक बाधा कम हुई और भूमि उपयोग की विवेकपूर्ण सोच को स्थान मिला।

जापान: ज़मीन की कमी ने सोच बदलने को मजबूर किया

यदि दुनिया में किसी देश ने ज़मीन की कमी को सबसे पहले गंभीरता से समझा, तो वह जापान है। जापान में भूमि अत्यंत सीमित है, आबादी घनी है और शहरीकरण अत्यधिक है। जापान सरकार ने मुस्लिम समाज से यह तक कह दिया है कि या तो वे दाह संस्कार करें अन्यथा वे शवों को अपने देश दफनाने के लिए वापस ले जा सकते हैं

क्योंकि जापान के पास इतनी जमीन नहीं है। इसी कारण वहां परंपरागत दफन व्यवस्था को सरकार ने दशकों पहले अव्यावहारिक मान लिया।

आज जापान में:—

99 प्रतिशत से अधिक मामलों में इलेक्ट्रिक शवदाह अनिवार्य है दफन की अनुमति केवल अत्यंत सीमित परिस्थितियों में दी जाती है सरकार द्वारा नियंत्रित क्रैमेटोरियम सिस्टम है

राख को सीमित स्थान में सुरक्षित रखा जाता है

यह निर्णय किसी धार्मिक संघर्ष के कारण नहीं, बल्कि ज़मीन, पर्यावरण और शहरी सच्चाई को ध्यान में रखकर लिया गया। जापान ये नही स्वीकार किया कि भावनाओं से अधिक महत्वपूर्ण भविष्य की ज़रूरतें

चीन: कानून, जनसंख्या और पर्यावरण का संयोजन

चीन ने भी इसी प्रकार एक सख्त लेकिन दूरदर्शी नीति अपनाई। चीन की विशाल जनसंख्या और सीमित शहरी भूमि ने सरकार को मजबूर किया कि वह दफन व्यवस्था को नियंत्रित करे।

चीन में:—

कई प्रांतों में दफन पर प्रतिबंध या कड़ा नियंत्रण है

इलेक्ट्रिक और गैस शवदाह को कानूनी रूप से बढ़ावा दिया गया

ग्रीन प्यूनरल नीति लागू की गई

कब्रों के आकार और संख्या पर कानूनी सीमा तय की गई

यह सब इसलिए किया गया ताकि:—

ज़मीन का दुरुपयोग न हो, भविष्य में पीढ़ियों को भूमि संकट न झेलना पड़े, सामाजिक स्थिरता बनी रहे।

चीन का अनुभव बताता है कि यदि सरकार स्पष्ट नीति बनाए, तो समाज समय के साथ उसे स्वीकार कर लेता है। भारत की स्थिति जापान और चीन से भी अधिक जटिल है यहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक है, सामाजिक और धार्मिक विविधता गहरी है और भूमि पहले ही अनेक आवश्यकताओं में बंटी हुई है। यदि अंतिम संस्कार जैसे विषय को पूरी तरह भावनाओं पर छोड़ दिया गया, तो भविष्य में कब्रिस्तान भी

राजनीतिक और साम्प्रदायिक विवाद का बड़ा कारण बन सकते हैं।

समाधान की दृष्टि से देखें तो तकनीक भारत में भी उपलब्ध है। गैस और विद्युत शवदाह न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि लकड़ी की कटाई रोकते हैं और भूमि की बचत भी करते हैं। जयपुर में लाल कोठी विधानसभा क्षेत्र के पास संचालित गैस शवदाह गृह इसका व्यावहारिक उदाहरण है, जिसे जयपुर सिटीजन फ़ोरम द्वारा स्थापित किया गया है। लेखक स्वयं इस फ़ोरम के सदस्य हैं। यह उदाहरण सिद्ध करता है कि यदि इच्छाशक्ति हो, तो समाधान निकाले जा सकते हैं। एक और दुखद सच्चाई यह है कि आज भी कई रमशाज घाटों में जाति और समाज के आधार पर अलग-अलग दाह संस्कार स्थल बने हुए हैं, जबकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से कह चुका है कि मृत्यु के बाद सभी समान हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि इन निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करे।

निष्कर्ष: धर्म नहीं, भविष्य केंद्र में होना चाहिए

यह पूरा विमर्श किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। यह उस भारत के पक्ष में है, जो आने वाली पीढ़ियों को भूमि विवाद, साम्प्रदायिक तनाव और पर्यावरणीय संकट विरासत में नहीं देना चाहता।

अब समय आ गया है कि:—

सभी कब्रिस्तानों का कानूनी सीमांकन हो तथा साथ ही उनकी पक्की चारदीवारी भी होना तय हो।

ज़मीन का स्टेटस स्पष्ट किया जाए इलेक्ट्रिक और गैस शवदाह को नीति स्तर पर बढ़ावा मिले

मृत व्यक्ति केवल एक नश्वर शरीर होता है। उसके नाम पर न समाज बंटे और न भविष्य की ज़मीन झगड़ों में बदल जाए। विवेक, तकनीक और दूरदृष्टि ही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

–रोटेरियन सुनील दत्त गोयल, महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टांक एक्सचेंज लिमिटेड जयपुर, राजस्थान

नरेन्द्रनाथ को स्वामी विवेकानंद बनाने का श्रेय राजस्थान को

स्वामी विवेकानन्द की जयंती 12 जनवरी पर विशेष.....



शंकर अग्रवाल

यद्यपि स्वामी विवेकानन्द का जन्म कलकता के प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ दत्त के घर 12 जनवरी 1863 को नरेन्द्र नाथ के रूप में हुआ। मूल नाम नरेन्द्र नाथ व बाद में भारत भ्रमण करते हुए स्वामी विविदिशानन्द हुआ। विविदिशा का अर्थ होता है- जानने की इच्छा। जब उनका जानने का काल समाप्त हो रहा था तो खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह जी ने कहा कि यह नाम बोलने में काफी कठिन है। आपको यदि आपत्ति नहीं हो तो कोई और नाम से पुकारें। इस पर नरेन्द्र नाथ ने कहा महाराज जैसी आपकी इच्छा, इस पर खेतड़ी महाराज अजीत सिंह जी ने इनका नाम विवेकानन्द रखा, जो विश्वभर में प्रसिद्ध हुआ व अन्त तक इसी नाम से जाने गए। इस प्रकार नरेन्द्र नाथ को स्वामी विवेकानन्द बनाने का श्रेय राजस्थान को विशेषकर खेतड़ी महाराज को जाता है।

विश्वभर में स्वामी विवेकानन्द की प्रसिद्धि के पीछे भी खेतड़ी महाराज का बड़ा योगदान रहा। स्वामी जी पूरे भारत का भ्रमण करते हुए पवित्र सोमनाथ के दर्शन कर स्वामी जी

पोरबन्दर पहुँचे। पोरबन्दर के राजा के विशेष आठार पर वह उनके महल में रुके। पोरबन्दर की राजस्थान में उस समय प्रसिद्ध वकील विद्वान पण्डित शंकर पाण्डुरंग भी थे। स्वामी जी वहाँ के समय से पतंजलि महाभाष्य पढ़ने लगे। पण्डित पाण्डुरंग स्वामी जी के ज्ञान व तेजस्विता से अत्यन्त प्रभावित हुए। उन्होंने स्वामी जी को पश्चिम देशों में जाकर भारत के ज्ञान को फैलाने का आग्रह किया। स्वामी जी के मन में पाण्डुरंग जी की सलाह पर विदेय जाने का विचार गहराता गया व निम्नरत उस पर उनका चिन्तन चलता रहा। स्वामीजी द्वारा, खण्डवा, बैलगांव आदि स्थानों से होते हुए मद्रास व बाद में रामेश्वर और अन्त में कन्याकुमारी पहुँचे। यह उनकी यात्रा का अन्तिम चरण था। स्वामी जी पूरे भारत का भ्रमण कर चुके थे।

कन्याकुमारी के समुद्र में स्थित शिला पर व आत्ममंथन के लिए बैठ गये व तीन दिन तक एक ही मुद्रा में ध्यानवस्थित रहे। 25 दिसम्बर को उन्हें अपने कृत्य पथ का बोध हुआ एवं भारत भूमि की सेवा की आवश्यकता का भान हुआ। यह वही शिला थी, जिस पर आज कन्याकुमारी में विवेकानन्द शिला स्मारक बना हुआ है। स्वामी जी अब नई उर्जा लेकर मद्रास लौट आये। मद्रास में उनके शिष्यों ने कुछ धन उनकी विदेश यात्रा के लिए एकत्र किया, लेकिन स्वामी जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। स्वामी जी ने कहा -वसुधैव कुटुम्बकम् के हाथ में यंत्र मात्र हूँ, उनकी इच्छा होने पर वे स्वयं ही मुझे वहाँ भेज देंगे। इस धन को तुम दखिनारायण की सेवा में लगा दो, देखूँ मैं की क्या इच्छा है? शिकागो की धर्मसभा में जाने के सम्बन्ध में अभी भी स्वामीजी के मन

में अनिश्चितता थी। एक दिन स्वामीजी ने स्वयन में देखा कि श्री रामकृष्णदेव दिव्य देह धारण किये हुए महासागर के ऊपर पैदल चले जा रहे हैं और उन्हें पीछे आने का हाथ से संकेत कर रहे हैं। अब उनके मन की सारी दुविधा निकल गई। अब तो श्री माताजी (श्री रामकृष्ण की धर्मपत्नी सादा देवी) से आज्ञा लेनी शेष थी। उनका भी आशीष भरा पत्रोत्तर जब उन्हें मिल गया तो स्वामीजी पूरी तरह शिकागो यात्रा के लिये प्रस्तुत हो गये।

उधर खेतड़ी महाराज के यहाँ पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। इस पर महाराज ने स्वामीजी को खोजने मुंशी जगमोहन लाल जी को भेजा, 21 अप्रैल 1893 को स्वामीजी मुंशी जगमोहन ल